उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या-35/2022/4880/41-2021-44(बजट)/2021

लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2022

संख्या-548/2021/2875/41-2021-44(बजट)/2021, दिनांक 28.10.2021

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन के पत्र संख्या-6070/मु0प0सं0यो0(56)/2021, दिनांक 27 दिसम्बर 2021 द्वारा संसूचित वस्तुस्थिति के अनुसार जनपद सोनभद्र के वि0स0क्षे0-ओबरा के ग्राम पंचायत सलखन में स्थित फासिल्स पार्क के पर्यटन विकास कार्य की द्वितीय किश्त के रूप में रू0 17.84 लाख की वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-548/2021/2875/41-2021-44(बजट)/2021, दिनांक 28.10.2021 के पृष्ठांकन के क्रम सं0-4 में त्रुटिवश मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ अंकित किया गया है, जबकि इसके स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी अंकित होना चाहिए था।

2. अतः एतद्वारा शासनादेश संख्या-548/2021/2875/41-2021-44(बजट)/2021, दिनांक 28.10.2021 के पृष्ठांकन के **क्रम सं0-4** पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** के स्थान पर **मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी** अंकित किया जाता है। तद्नुसार उक्त शासनादेश दिनांक 28.10.2021 उक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते एवं उपबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी सोनभद्र।
4- महानिदेशक पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन लखनऊ।
6- **मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी**
7- श्रीमती कीर्ति क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव पश्चित क्षेत्र उ0प्र0 कानपुर।
10- प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।
12- संयुक्त निदेशक पर्यटन वाराणसी मण्डल वाराणसी एवं विन्ध्याचल मण्डल।
13- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।
14- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in